कार्यवृत्त

गुरूवार, 25 आषाढ़, शक संवत्, 1931
(दिनांक 16 जुलाई, 2009 ई0)

खण्ड-26
अंक-4

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 के अन्तर्गत 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन सूचनाओं में से कोई भी सूचना का विषय तात्कालिक नहीं है और नियम-310 के अन्तर्गत सुने जाने योग्य नहीं है। इस पर कांग्रेस के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे तथा बसपा के सदस्य शिवालिक नगर हरिद्वार में दिनांक 11 जुलाई, 2008 को घटित घटना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय पर कल के उपवेशन में चर्चा हो चुकी है किन्तु अपने-अपने स्थान पर खडे सदस्य निरन्तर बोलते रहे जिससे सदन में व्यवधान होता रहा। श्री अध्यक्ष द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर भी सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया और सदन में घोर व्यवधान होता रहा। **घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा 11 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गयी।**

11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 11 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

11 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

12 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

नेता सदन ने हरिद्वार में 11 जुलाई, 2009 की रात्रि में हरिद्वार के शिवालिक नगर में घटित घटना के सन्दर्भ में हरिद्वार नगर में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में मजिस्ट्रेट जांच का आश्वासन दिया।

नियम-300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयीं :-

1. श्री प्रेमानन्द महाजन (पढ़ी हुई मानी गई)	पुलिस विभाग में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को अन्य पुलिस कर्मियों की भांति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।
2. श्री सुरेन्द्र राकेश (पढ़ी हुई मानी गई)	जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में राजकीय डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री बलवीर सिंह नेगी	उत्तराखण्ड के केदारनाथ के आसपास घोड़े-खच्चरों में फैली बीमारी फ्लू से मरने तथा सरकार द्वारा कोई राहत राशि बितरित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्री गणेश जोशी	जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर के अन्तर्गत न्याय पंचायत सरोना के अन्तर्गत प्रा0वि0 चामासारी, नालीकला, खालेंच क्यारा, चलचला, बुरांशखण्डा छमरोली तथा भैंसवाड़ा सौड़ में शिक्षकों की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री चन्दन राम दास	विधान सभा क्षेत्र गरुड़ के राजकीय महाविद्यालय में स्वीकृति के सापेक्ष विषयों के पद सृजन कर स्टाफ की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्रीमती आशा नौटियाल (पढ़ी हुई मानी गई)	जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड ऊखीमठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
7. श्री गोपाल सिंह रावत	राज्य में मोटर वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के फलस्वरूप मृतक आश्रितों तथा घायलों को दी जाने वाली अनुमन्य राजकीय सहायता न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2009 के प्रथम सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

गन्ना मंत्री ने उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953} (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

गन्ना मंत्री ने उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953} (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 15 जुलाई, 2009 की बैठक में दिनांक 16 एवं 17 जुलाई, 2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

जुलाई, 2009

16 (गुरूवार) — वित्तीय वर्ष, 2009-10 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

17 (शुक्रवार)

1. **असरकारी संकल्प**

(क) श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा तृतीय सत्र, 2008 में दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जिला नैनीताल में उत्तराखण्ड का कोटा दुगुना किया जाय ताकि युवाओं में सेना में अधिकारी बनने की रूचि बढ़ सके।"

(ख) श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 2009 में दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित की जाय।"

2. **विधायी कार्य**

1. उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। **(पन्द्रह मिनट)**

2. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। **(एक घण्टा)**

3. वित्तीय वर्ष, 2009-10 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री तिलक राज बेहड़ ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि नियम-310 की सूचनाओं के कारण सदन में हंगामे से लगातार प्रश्नकाल प्रभावित हो रहा है। अतः नियम-310 की विद्यमान व्यवस्थाओं पर विचार किए जाने हेतु नियम समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री ने सुझाव दिया कि इस सम्बन्ध में तात्कालिक समाधान हेतु अध्यक्ष पीठ से आवश्यक निदेश दे दिए जाए। श्री अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-310 के अन्तर्गत सत्र के दौरान जो सूचनायें प्रातः 9:30 बजे से पहले कार्यालय में दी जाती रही हैं, वे सूचनाएं अब सदन के उपवेशन के दौरान सीधे अध्यक्ष पीठ को प्राप्त करायी जा सकती हैं तथा ये सूचनाएं अब सदन के उपवेशन के पूर्व कार्यालय को प्राप्त नहीं करायी जाएगी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई।

सहारनपुर-छुटमलपुर मार्ग पर देहरादून आने हेतु मन्दिर के पास भारी/हल्के सभी वाहनों को सुरंग (टनल) से आने जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में चौ0 यशवीर सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर में खानपुर रेंज में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन भूमि भू-माफियाओं को दिये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री तसलीम अहमद ने अपने विचार व्यक्त किए। वन मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

दिनांक 27 मई, 2009 को हल्द्वानी में नौसीन को जलाकर मार दिए जाने व आन्दोलन कर रहे लोगों पर मुकदमे दर्ज किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री मनोज तिवारी ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के किसानों को पूर्व सरकार द्वारा कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी मुक्त योजनान्तर्गत एक लाख रूपये से बढ़ाकर तीन लाख रूपया किया गया था, किन्तु वर्तमान सरकार द्वारा उक्त योजना को 31 मार्च, 2009 के बाद लागू नहीं किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री तिलक राज बेहड़ तथा डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद देहरादून में राजकीय महाविद्यालय त्यूनी में शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने पर भी शिक्षकों तथा प्राचार्य की तैनाती न होने से क्षुब्ध स्थानीय जनता द्वारा तालाबन्दी किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री प्रीतम सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि 15 जुलाई, 2009 के उपवेशन में जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने में आ रही कठिनाईयों के विषय पर आज चर्चा कराने को कहा था। इस सम्बन्ध में श्री तिलक राज बेहड़, तथा डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल माननीय सदस्यगण से नियम-54 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई है जिसे स्वीकार करके कार्य-मंत्रणा समिति के समक्ष समय निर्धारण के लिए रखा जाएगा। **सदन की कार्यवाही 1 बजकर 42 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

वित्तीय वर्ष, 2009-10 के आय-व्ययक पर चर्चा डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष के भाषण से आरम्भ हुई।

निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री सुरेन्द्र राकेश,
श्री हरभजन सिंह चीमा,
श्री बलवीर सिंह नेगी,
श्री यशपाल बेनाम तथा
श्री चन्दन राम दास।

तदुपरान्त चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 08 सूचनाएं प्राप्त हुई है।

जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ विधान सभा के दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा अध्ययन हेतु हो रही दिक्कतों के सम्बन्ध में श्रीमती आशा नौटियाल की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया।

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सितारगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नानकमत्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शक्तिफार्म में लम्बे समय से तैनात कर्मचारियों की अनुप्लब्धता के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भिकियासैंण में भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालय में भवन आदि न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2009 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया। श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद उत्तरकाशी में वन विभाग द्वारा इमारती प्रकाष्ठ की बिक्री न खोलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2009 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वन मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया।

सदन की कार्यवाही 6 बजकर 53 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
हरबंस कपूर,
अध्यक्ष,
विधान सभा।